आ0सं0:-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-21/2018......../

बिहार सरकार

<u>भवन निर्माण विभाग</u>

<u>:: आदेश ::</u>

मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक-3775 दिनांक-15.11.18 से प्रतिवेदन प्राप्त हुआ कि बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा आमंत्रित विभिन्न निविदाओं में संवेदक श्री विजय कुमार, पिता-श्री राम स्नेही सिंह, ग्रा0+पो0-विन्डोडीह, भाया गिरियक, थाना-सिलाव, जिला-नालंदा, बिहार, निबंधन सं0-श्रेणी-प्रथम(व्यक्तिगत)-40 (भवन)/2014 द्वारा निविदा में समान प्रकृति के अनुभव प्रमाण पत्र न्यूनतम अर्हत्ताओं को पूरी करने हेतु गलत कागजात अपलोड किया गया, जिसके कारण एस0बी0डी0 की कंडिका-4.8 के तहत Non Responsive पाया गया एवं तकनीकी निविदा समिति द्वारा कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई।

उक्त के आलोक में गलत कागजात अपलोड करने के कारण संवेदक श्री विजय कुमार, पिता-श्री राम स्नेही सिंह, ग्रा0+पो0-विन्डोडीह, भाया गिरियक, थाना-सिलाव, जिला-नालंदा,बिहार,निबंधनसं0-श्रेणी-प्रथम(व्यक्तिगत)-40(भवन)/2014 से स्पष्टीकरण पूछा गया तथा उनके द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाया गया। मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा संवेदक श्री विजय कुमार, पिता-श्री राम स्नेही सिंह, ग्रा0+पो0-विन्डोडीह, भाया गिरियक, थाना-सिलाव, जिला-नालंदा, बिहार, निबंधन सं0-श्रेणी-प्रथम(व्यक्तिगत)-40 (भवन)/2014 को कालीकृत करने की अनुशंसा की गई।

मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना के उक्त पत्र पर दिनांक-07.01.19 को आयोजित अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संवेदकों के निलंबन/कालीकृत हेतु गठित समिति की बैठक में विचार किया गया। समिति द्वारा संवेदक श्री विजय कुमार, पिता-श्री राम स्नेही सिंह, ग्रा0+पो0-विन्डोडीह, भाया गिरियक, थाना-सिलाव, जिला-नालंदा, बिहार, निबंधन सं0-श्रेणी-प्रथम(व्यक्तिगत)-40(भवन)/2014 से स्पष्टीकरण पूछने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय पत्रांक-1267(भ) दिनांक-04.02.19 द्वारा संवेदक से एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जो अप्राप्त रहा। संवेदक को स्पष्टीकरण हेतु विभागीय पत्रांक-2462 दिनांक-05.03.19 एवं 3547 दिनांक-03.04.19 द्वारा स्मारित भी किया गया। परन्तु संवेदक से स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं हो सका।

दिनांक-15.05.19 को अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक में संपूर्ण स्थिति पर विचार करते हुए समिति द्वारा संवेदक के निबंधन को एक वर्ष के लिये निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में संवेदक श्री विजय कुमार, पिता-श्री राम स्नेही सिंह, ग्रा0+पो0-विन्डोडीह, भाया गिरियक, थाना-सिलाव, जिला-नालंदा, बिहार के निबंधन सं0-श्रेणी-प्रथम (व्यक्तिगत)-40(भवन)/2014 को पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष के लिये निलंबित किया जाता है।

ह0/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

Akhilesh Ji(Sec-13)-Karyalay Aadesh 141

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-21/2018.........पटना,दिनांक-

निबंधित

प्रतिलिपिः-संवेदक श्री विजय कुमार, पिता-श्री राम स्नेही सिंह, ग्रा0+पो0-विन्डोडीह, भाया गिरियक, थाना-सिलाव, जिला-नालंदा, बिहार, निबंधन सं0-श्रेणी-प्रथम(व्यक्तिगत)-40(भवन)/2014 बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-21/2018 5058(भ)........पटना,दिनांक- 6/6/19

प्रतिलिपिः-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग,/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

31/5/2019

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव